

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण
बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| <u>DATE</u> | <u>ORDER</u> | <u>REMARKS</u> |
|--------------------|---|-----------------------|
| 12.02.2025 | <p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.10.2024 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश हेतु नियत है।</p> <p align="center"><u>आदेश (ORDER)</u></p> <p>वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा बंटवारा तलब जायदाद वाली भूमि पर अपना हिस्सा 1/3 घोषित कर सर्वेज्ञात अधिवक्ता से वादीगण का अलग तख्ताबंदी कायम कराने हेतु लाया है। वाद लंबन के दौरान बिना न्यायालय के अनुमति प्राप्त किये प्रतिवादीगण द्वारा पक्का निर्माण कराया जा रहा है तथा मद सं0-02 वाली भूमि के सभी खेसराओं पर प्रतिवादीगण निर्माण कर एवं कराकर स्वरूप परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे है। उपरोक्त स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तलब कर लिया जाय ताकि वादग्रस्त भूमि की स्थिति अभिलेख पर मौजूद हो सके। वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर से 20 किलोमीटर की दुर पर है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले शुल्क को वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का आवेदन स्वीकार करते हुये स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि के प्रतिवेदन की मांग आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर करने कृपा करें। इसके</p> | |

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <p>लगातार 12.02.2025</p> | <p>लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगे।</p> <p>प्रतिवादी सं0-01 एवं 02 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 04.02.2025 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन तथ्य एवं कानून की दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादीगण को प्रस्तुत वाद दाखिल करने के लिए कोई भी यूनिटी ऑफ टाईटल एवं युनिटी ऑफ पोजेशन प्राप्त नहीं है। वादीगण को उनके पूर्वजों के समय से ही जानकारी है कि मद सं0-02 की भूमि प्रतिवादी सं0-01 एवं 02 के पुर्वजों के हक एवं हिस्से की भूमि पर है जिस पर प्रतिवादीगण का दखल कब्जा मकान मय दुकान के साथ साथ अन्य व्यक्तियों का दखल कब्जा है। वादीगण का यह कहना सरासर गलत है कि प्रतिवादीगण निर्माण कार्य करवाकर भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर रहे है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 25.10.2024 को स्वीकार किया</p> | |
|-------------------------------------|--|--|

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण
बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <p>लगातार 12.02.2025</p> | <p>जाता है। तदनुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार ओझा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0-3000/- रुपये वादीगण के द्वारा वहन किया जायेगा।</p> <p>वाद दिनांक 28.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p>लेखापित</p> <p>अवर न्यायाधीश</p> <p>नरकटियागंज</p> | |
|-------------------------------------|--|--|